संतकबीरनगर पुलिस

जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 08-04-2021**

आज दिनांक 08.04.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री अम्बरीष भदौरिया** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 157/21 धारा 354/354(ख)/376 व 5/6/11/12 पाक्सो एक्ट तथा 3(2)(V)(ख) व 3(1)(W)(2) एससी / एसटी एक्ट के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता **शनि सिंह पुत्र लाला साहब निवासी अमौली थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर** को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 01.04.2021 को वादी की नाबालिग पुत्री व वादी के चचेरे भाई की नाबालिग पुत्री को पकड़कर खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया था , जिसके संबंध में वादी द्वारा दिनांक 01.04.2021 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 08.04.2021 को थाना धनघटा पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री बृजमोहन मय हमराह।

संतकबीरनगर पुलिस

गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर अभियुक्त को जनपदीय सीमा के अन्दर निवास करते समय किया गया गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 106/21 धारा 10 गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर घोषित किए गये **अभियुक्त नाम पता मो0 हुसैन पुत्र दोस्त मुहम्मद निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा** को जनपदीय सीमा के अन्तर्गत दुर्गजोत के पास से जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करते हुए आज दिनांक 08.04.2021 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 26.03.2021 को न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम में शातिर गोतस्कर मो0 हुसैन पुत्र दोस्त मोहम्मद को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया गया था तथा छः माह की अवधि के लिए जनपद सन्तकबीरनगर से निष्कासन का आदेश दिया गया था। अभियुक्त को इस आदेश का तामिला भी आदेशोपरान्त करवा दिया गया था उसके उपरान्त भी अभियुक्त जनपद की सीमा में निवास कर रहा था। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम में आज दिनांक 08.04.2021 को उक्त अभियुक्त को उ0नि0 श्री रमेश यादव द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 01 वारण्टी गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा दविश के दौरान 01 वारण्टी नाम पता जोखन पुत्र रामबुझ निवासी बेलराई थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम का विवरण- उ0नि0 श्री लालजी यादव मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 13 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1489 द्वारा दो पक्षों में विवाद / मारपीट को कराया गया शान्त – पीआरवी 1489 को थाना महुली क्षेत्रान्तर्गत धौरीपार से इवेन्ट संख्या 02990 से कालर जान से मारने का प्रयास करने को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से दो व्यक्तियों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 08 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर मारपीट में घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई गयी। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 राजकुमार यादव, आ0 अरविन्द गुप्ता, हो0चा0 नागेन्द्र प्रसाद।

संतकबीरनगर पुलिस

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 122 वाहनो से 79000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 08.04.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 122 वाहनो से 79000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।